

02.08.24

पत्रावली अज अदालत प्रस्तुत हुई।
 अधिवक्ता वारी की जाँची में
 उपस्थित है। दिनांक 17/7/24 को
 जतिवाडी सं. 1 से 23 की तारीख
 के बाद पत्रावली पर जतिवाडी
 सं. 12 व 16 के अलावा सभी
 जतिवाडी अनुपस्थित रहे हैं।
 जतिवाडी सं. 12 व 16 के अलावा
 सबका जवाब बन्द किया गया। जतिवाडी
 सं. 12 व 16 के सहित व्यक्त की
 तथा फवार डिमा की अग्र पत्रावली
 की जाती है, ती उन्हे फीर कायाने नही है।
 जतिवाडी सं. 1 से 11 व 12, 13, 14 व
 17 से 23 के विकल्प सब गणा जतिवाडी
 अकाल के लाई जाती है। जतिवाडी सं. 34
 का जवाब भी बाकूलामील के गती
 किया है साथ ही जतिवाडी सं. 34 अनुपस्थित
 भी है।

जतिवाडी अंतर्गत
 एक से लगायत
 33 तक हुबम की
 दाद नही आदि
 Janyar
 H.S.,


अधिवक्ता वारी के अतिरिक्त ही उक्त
 डिमा की उन्हे जतिवाडी सं. 24 से 33 के विकल्प
 कोई दाद नही आदि है। तथा लखनौहिलाल
 लखनौहिलाल दिने अधिवक्ता जतिवाडी के अलावा
 जतिवाडी सं. 24 से 33 के विकल्प कोई दाद
 नही आदि है, कारण: उनके विकल्प बंद
 आया है। उक्त कोई आदेश नही जारी
 किया जा रहा है कारण: उक्त समान तारीखी की
 कायाने नही है।

क्योंकि अब पत्रावली पर तारीखी अथवा जवाब
 के हेतु फीर कायाने नही है, तथा जतिवाडी
 सं. 12 व 16 के पत्रावली से सहित व्यक्त की है,
 कारण: बाद पत्र अग्र दिने गए आया है।
 100/2, 100/1, 107/2, 92/2, 93/2 व 94 पत्रावली
 पत्रावली के अंतर्गत जारी किए जाते हैं।

PTD

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

| मुकदमा | वनाम | सन् | हस्ताक्षर पार्टी |
|------------|---|-----|--|
| तारीख हुकम | कार्यवाही विवरण | | |
| | <p>रक्षीलगा को आरोपित किया जाता है कि उनके सम्बन्ध में मुचका पत्र जारी की गई है और आरोपित को पत्र (2016) का कार्य निष्पादन करवादी रक्षीलगा के चार्ज के निदेशानुसार पत्र पर उपयुक्त एंजिन के पत्र (गठने के लिए) तथा मजदुर गृहों को उपलब्ध कराए।</p> <p>को एक दिवस का वेतन रायकोष में जमा करने पर ही पत्रागो की कार्य निष्पादन करवादी एक दिवस के वेतन को निष्पादना रक्षीलगा उनके पत्र राशि प्रेषित के लिए बकाया रायकोष से आहरित कर लेकेगा। सी.आर.ए. निष्पादना के पत्र मांग कार्यवाही कर, एक हू एक जति सी.आर.ए को भी निष्पादनी प्रेषित जावे।</p> <p>पत्रागो में निर्णय अनुसार मुचका पत्र / पत्रागो फिलहाल मुचका पत्र से बन रहा है।</p> | |  |
| | <p>उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)</p> | | |